REGD. NO. D. L.-33004/99

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

 ਸ਼	273]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 20, 2010/वैशाख 30, 1932
		NEW DELHI, THURSDAY, MAY 20, 2010/VAISAKHA 30, 1932
No.	273]	

# वाणिञ्च और उद्योग मंत्रालय

( औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग )

#### अधिसूचना

## नई दिल्ली, 20 मई, 2010

सा.का.नि. 428(अ).--व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999

(1999 का 47) की धारा 157 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित व्यापार चिन्ह नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए कतिपय प्रारूप नियम, भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग II, खण्ड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 373(अ), तारीख 1 जून, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, पैंतालीस दिन की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और ऐसी अधिसूचना 3 जून, 2009 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और केंद्रीय सरकार ने जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया है;

अत:, अब, केंद्रीय सरकार, व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 (1999 का 47) की धारा 157 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यापार चिन्ह नियम, 2002 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :— !.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम व्यापार चिन्ह (संशोधन) नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

 व्यापार चिह्न नियम, 2002 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 62 के उप-नियम (3) में निम्नलिखित परंतुक अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"परंतु यदि रजिस्ट्रार इस साक्ष्य के उप-नियम (1) के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी को प्राप्त नहीं हुआ है, द्वारा समर्थित रजिस्ट्रीकृत स्वत्वधारी के दावे से यह समाधान हो जाता है तो वह किसी और फीस के संदाय के बिना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की द्वितीयक प्रति या प्रति जारी कर सकेगा :

परंतु यह और कि कोई ऐसी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति या प्रति जारी नहीं की जाएगी जहां ऐसा अनुरोध रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण और रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न के प्रत्यावर्तन की समय-सीमा की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त हुआ है" ।

 उक्त नियमों की चतुर्थ अनुसूची में क्रम संख्यांक 42 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :----

- "42. वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सेवाएं और उनसे संबंधित अनुसंधान और डिजाइन; औद्योगिक विश्लेषण और अनुसंधान सेवाएं; कम्प्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का डिजाइन और विकास ।
  - 43. खाद्य और पेय उपलब्ध कराने की सेवाएं; अस्थायी आवास ।

1933 GI/2010

(1)



44. चिकित्सा सेवाएं, पशुपालन सेवाएं, मानवों या पशुओं के लिए स्वास्थ्य और सौंदर्य देखभाल; कृषि, बागवानी और वानिकी सेवाएं।

2

45. विधिक सेवाएं; सम्पत्ति और व्यष्टियों के संरक्षण के लिए सुरक्षा सेवाएं; व्यष्टियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य लोगों द्वारा दी गई व्यक्तिगत और सामाजिक सेवाएं।"

[फा. सं. 8/44/2007-आईपीआर-IV]

वी. भास्कर, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 114(अ), तारीख 26 फरवरी, 2002 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

#### MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

### (Department of Industrial Policy and Promotion)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 20th May, 2010.

**G.S.R. 428(E).**—Whereas certain draft rules to amend the Trade Marks Rules, 2002 were published, as required under sub-section (1) of Section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G.S.R. 373(E), dated the 1st June, 2009 in the Gazette of India (Extraordinary), published in Part II, Section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of fortyfive days from the date on which copies of the Gazette containing notification were made available to the public;

And whereas the such notification were made available to the public on the 3rd June, 2009;

And whereas the objections and suggestions received from the public have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 157 of the Trade Marks Act, 1999 (47 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Trade Marks Rules, 2002, namely :—

1. (1) These rules may be called the Trade Marks (Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Trade Marks Rules, 2002 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 62 in sub-rule (3), the following proviso shall be inserted, namely :---

"Provided that if the Registrar is satisfied with the claim of the registered proprietor supported by evidence that the certificate of registration issued under sub-rule (1) has not been received by the registered proprietor, he may issue duplicate or copy of the certificate of registration without any further payment of fee :

Provided further that, no such duplicate or copy of certification of registration shall be issued where such request is received after the expiry of the time limit for renewal of registration and restoration of the registered trade mark".

3. In the Fourth Schedule to the said rules, for serial number 42 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be substituted, namely:---

- "42. Scientific and technological services and research and design relating thereto; industrial analysis and research services; design and development of computer hardware and software.
- 43. Services for providing food and drink; temporary accommodation.
- 44. Medical services, veterinary services, hygienic and beauty care for human beings or animals; agriculture, horticulture and forestry services.
- 45. Legal services; security services for the protection of property and individuals; personal and social services rendered by others to meet the needs of individuals."

[F. No. 8/44/2007-IPR-IV]

V. BHASKAR, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number G.S.R. 114(E), dated, the 26th February, 2002.

